

कार्यालय  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-9803 A/ 5805

दिनांक : 21-12-2021

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.165 ha. of forest land in favor of Executive Engineer Provincial Division NO. 1 PWD (B&R) Ambala Cantt. for widening and strengthening of link road from Ambala – Hissar road to Balan to Punjab Border (KM 0.927 to 1.827), under Forest Division and District Ambala, Haryana  
Online Proposal No. FP/HR/ROaD/41383/2019.

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 9-HRB154/2021-CHA दिनांक 24.01.9.2021 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला के पत्र क्रमांक 1427 दिनांक 25.11.2021 द्वारा भेजा गया उत्तर संलग्न है तथा अपेक्षित सूचना ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है ।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज-1 स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न/उपरोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)  
हरियाणा, पंचकुला ।

21/12  
शाम

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्या: मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला शहर।

F-7, Forest Complex, Company Bagh, Ambala City Email :- chj12345@rediffmail.com, Telephone No, 0171-2414237

क्रमांक :- 1427  
सेवा में

दिनांक:- 25/11/21

नोडल आफिसर एंव वन संरक्षक (एफ0सी0)  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
हरियाणा, पंचकुला।

विषय:-

Diversion of 0.165 ha. Of forest land in favor of Executive Engineer] Provincial Division No. 1, PWD (B&R) Ambala Cantt. For widening and strengthening of link road from Ambala – Hissar road to Balan ato Punjab Border (KM 0.927 to 1.827), inder forest division and district ambala, Haryana (FP/HR/41383/2019).

संदर्भ:- आपका पत्र पृ0 क्रमांक 4696-97 दिनांक 09.11.2021।

--\*\*\*\*--

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में संदर्भांकित पत्र उक्त केस में अंकित बिन्दुओं  
बारे निम्नप्रकार से सूचना भेजी जाती है।

1. उक्त केस में 674 बाधक वृक्ष हैं जो कटवाये जायेंगे व छोटे पौधे कोई भी नष्ट नहीं होंगे।
2. प्रस्तावित केस में existing formation width of road 3.66 Mtr. है तथा Proposed formation width 5.5 Mtr. है अर्थात् उक्त केस में 1.84 मी0 रोड़ चौड़ा किया जाना है। (ले-आऊट प्लॉन की प्रति संलग्न है।)
3. प्रति संलग्न है।

संलग्न/उपरोक्त

मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल  
हरियाणा, अम्बाला।

पृ0 क्रमांक :- 1428 दिनांक :- 25/11/21

एक प्रति वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला को उनके पत्र क्रमांक 1329 दिनांक 16.11.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल  
हरियाणा, अम्बाला।